

न्यूनतम मजदूरी अधिनियम-1948 के अन्तर्गत 74 अनुसूचित निगोजनों में देय परिवर्तनीय महंगाई भत्ता
 न्यूनतम मजदूरी अधिनियम-1948 के अन्तर्गत राजाज्ञा संख्या-194/38-3-2014-07 (प्यु0002)/4 दिनांक 28
 अधिनियम संख्या-650/38-03-2019-931(न्यु0002)/06 दिनांक 30 सितम्बर 2019 द्वारा 15 अनुसूचित निगोजनों में नि-
 की मूल दरों एवं परिवर्तनीय महंगाई भत्ते को निर्धारण किया गया है। मजदूरी की जो दरें मासिक आधार पर निर्धारित क-
 दर मूल मजदूरी और परिवर्तनीय महंगाई भत्ते के 1/26 से कम तथा प्रति घंटे दर दैनिक दर का 1/6 से कम न होनी
 उक्त के अनुक्रम में निर्मांकित 74 निगोजनों में नियोजित कर्मचारियों के लिये अखिल भारतीय उपभोक्ता सूचका-
 न्द जुलाई 2012 से दिसम्बर 2012 के औसत 341 अंकों के ऊपर जुलाई 2020 से दिसम्बर 2020 के औसत अंक 341 अ-
 दिनांक 30.9.2021 तक की अवधि हेतु परिवर्तनीय महंगाई भत्ता निम्नलिखित दृष्टान्त की भांति गणना करके देय होगा-
 दृष्टान्त- रुपये-5750/- प्रतिमाह मजदूरी पाने वाले अकुशल श्रेणी के कर्मचारियों को औसत उपभोक्ता मूल सूच-
 दिनांक 01-04-2021 से दिनांक 30-9-2021 तक की अवधि हेतु देय परिवर्तनीय महंगाई भत्ता निम्नलिखित होगा।
 (341-216) X 5750-प्रतिमाहरूप-3328/-

216

विभिन्न श्रेणी के कर्मचारियों को देय प्रतिमाह मूल मजदूरी परिवर्तनीय महंगाई भत्ता मासिक एवं दैनिक मजदूरी

क्रमांक	श्रेणी	प्रतिमाह मूल मजदूरी रूपये में	प्रतिमाह परिवर्तनीय महंगाई भत्ता रूपये में		दिनांक:1.4.2021 से कुल मजदूरी (रूपये में)
			दिनांक:01.10.2020 से 31.3.2021 तक	दिनांक:1.4.2021 से 30.9.2021 तक	
1	2	3	4	5	6
1	अकुशल	5750	3008	3328	9078
2	अर्धकुशल	6325	3309	3660	9985
3	कुशल	7085	3706	4100	11185

निगोजन के नाम:-

1. रबर की विनिर्माणशाला और रबर उत्पाद(टायर और ट्यूब सहित) के उद्योग।
2. प्लास्टिक उद्योग और प्लास्टिक उत्पाद के उद्योग।
3. मिथान उद्योग।
4. वासित पेयों (एसोटेड ड्रिंक्स) के विनिर्माण।
5. कलों के रस्ते की विनिर्माणशाला।
6. परतदार लकड़ी (प्लाइवुड) के उद्योग।
7. पेट्रोल और डीजल आयल पम्प।
8. डेरी और मिल्क डेरी।
9. सिले सिलाये कपड़ों की विनिर्माणशाला।
10. बॉथ तटबन्ध के निर्माण और अनुरक्षण, सिंचाई परियोजनाओं कुओं और तालाबों की खुदाई।
11. उन समस्त रजिस्ट्रीकृत कारखानों में निगोजन, जिनका उल्लेख पहले नहीं किया गया है।
12. प्राइवेट अस्पताल(नर्सिंग होम्स) एवं प्राइवेट क्लिनिकों और प्राइवेट डाक्टरी सामान की दुकानों।
13. डलाई घर।
14. धातु उद्योग।
15. टिन प्लेट शॉपिंग और टिन प्रिंटिंग।
16. ऐसे अनियन्त्रण उद्योग जिसमें 50 से कम व्यक्ति नियोजित हों।
17. चर्म शोधनशाला और चर्म विनिर्माण शाला।
18. चर्म वस्तु विनिर्माण उद्योग।
19. होजरी सिकर्म।
20. निजी पुस्तकालय।
21. काष्ठ संकर्म और फर्नीचर उद्योग।
22. प्राइवेट कोचिंग कक्षाओं प्राइवेट विद्यालयों, जिनमें नर्सरी स्कूल और निजी प्राविधिक संस्थाएँ भी सम्मिलित हैं।
23. तम्बाकू विनिर्माण।
24. धर्मशाला।
25. यानिकी (फारेस्ट्री) लट्ठा बनाने और काष्ठ कार्य, जिसके अन्तर्गत किसी अन्य वन उपज का संग्रहण और उसे मण्डी दुकानों में
26. वाणिज्य अधिष्ठानों में।
27. चावल मिल, आटा मिल या दाल मिल।
28. तेल मिल।
29. लोक मोटर परिवहन।
30. पॉत्रिक परिवहन कर्मशाला।
31. आटोमोबाइल रिपेयरिंग कर्मशाला।
32. सड़कों के निर्माण या उन्हें बनाये रखने का निर्माण संकियाओं।
33. पत्थर तोड़ने या पत्थर कूटने।
34. चिकन के कार्य।
35. दियासलाई उद्योग।
36. आइसक्रीम/आइसक्रीम विनिर्माणशाला।
37. बेकरी और बिस्कुट विनिर्माणशाला।
38. बर्फ विनिर्माणशाला।

40. एम्बेन्डम सोमेट कारखानों और अन्य सोमेट उत्पाद विनिर्माणखाला।
41. जलवायु और पुनर्वास अधिनियम।
42. जिला स्तर पर।
43. कोल्ड स्टोरेज।
44. पाटरी, सिरेमिक्स या लिफ्ट/ट्रैक्टर।
45. निजी मुद्रणालय।
46. सिनेमा उद्योग।
47. कपड़ा उद्योग।
48. सिलाई उद्योग।
49. एलेक्ट्रिक, जापूरीय, पुनर्वास कारखाने।
50. कपड़ा।
51. हथकरघा/सिल्क की साड़ी की बुनाई जरी के क्राई।
52. कपड़ा धोने या प्रसूधन के साबुन या सिलिंडर या साबुन का घूर्ण या प्रसूधन विनिर्माण।
53. ऊनी कपड़ा बनाने के उद्योग।
54. आम्बेन्डम।
55. हथकरघा उद्योग।
56. शक्ति चालित कपड़ा उद्योग।
57. छोटा(मिनीएचर) बल्ब एवम् कौंध उत्पादों के निर्माण।
58. कपड़ा, गत्ता और पैपर बोर्ड उद्योग।
59. ईर मरठा उद्योग।
60. ताता उद्योग के नियोजन में।
61. पीतल के बर्तनों एवं पीतल उत्पाद के विनिर्माण के नियोजन।
62. किसी निजी सुरक्षा और सेवा प्रदाता अभिकरण में नियोजित सुरक्षा कर्मी(सुरक्षा कर्मियों) जिनमें हथियार सहित/हथियार रहित आदि कर्मी सम्मिलित हों।
63. बुहारने और सफाई में नियोजन, जिसमें सफाई कर्मचारी नियोजन एवं शुष्क सौचालयों का निर्माण(प्रतिरोध) अधिनियम-1993 के अन्तर्गत के निश्चित किया-कक्षाप सम्मिलित नहीं है।
64. घरेलू कामगारों का नियोजन।
65. कम्प्यूटर हार्डवेयर उद्योग एवं सेवाओं में नियोजन।
66. एल0पी0जी0 वितरण एवं संबंधित सेवाओं में नियोजन।
67. टैक्सो, आटोरिक्सा/टैम्बो एवं टैलेफोन अभिकरण में नियोजन।
68. कंबिन्ड आपरेटर एवं संबंधित सेवाओं में नियोजन।
69. गैर सरकारी संगठन(एन0जी0ओ0) एवं संबंधित सेवाओं में नियोजन।
70. विकल्प सकार्यन/विकल्प सकार्यन(सेवा दर्ता) अधिनियम-1975 के अधीन सम्मिलित अथवा सम्मिलित किये जाने वाले किसी उद्योगों में) में नियोजन।
71. हेयर कटिंग सैलून एवं व्युटी पार्लर(पुरुष एवं महिलायों) में नियोजन।
72. कार्सोरेट कार्यालयों में नियोजन।
73. काल सेन्टर/आई0टी0 इन्टरनेट/टेलीकॉमिनिंग सेवाओं आदि में नियोजन।
74. ऐसे प्रतिष्ठान जो किसी अनुसूचित नियोजन के अधीन आच्छादित न हों, में नियोजन।

(कल्पना श्रीवास्तव)

उप श्रम आयुक्त, उत्तर प्रदेश।
कुले श्रम आयुक्त, उत्तर प्रदेश।

कार्यालय, श्रम आयुक्त, उत्तर प्रदेश, जी0 टी0 रोड, कानपुर।

संख्या 38-61 पर्यटन-(एन0उब्यू0)/15

दिनांक 11/5/2021

प्रतिलिपि-

1. समस्त क्षेत्रीय अपर/उप श्रम आयुक्त, उ0प्र0 को इस आशय से प्रेषित कि अधीनस्थ अधिकारियों को अवगत कराये तथा श्रमिकों, सेवायोजकों व उनके प्रतिनिधियों द्वारा माँगे जाने पर उपलब्ध कराये।
2. अनुसंधिय उ0प्र0 शासन, श्रम अनुभाग-3, लखनऊ।
3. सहायक निदेशक, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, (विज सेल) भारत सरकार नई ई-मेल wagecell@nic.in के माध्यम से
4. अधिशासी निदेशक उद्योग बंधु लखनऊ।
5. उप श्रम आयुक्त (आई0 आर0), मुख्यालय, कानपुर।
6. अपर श्रम आयुक्त (कम्प्यूटर), मुख्यालय को समस्त क्षेत्रीय अपर/उप श्रम आयुक्त कोई ई-मेल के माध्यम से प्रेषित करने तथा विभागीय वेबसाइट www.uplabour.gov.in पर अपलोड कराने हेतु।
7. श्री हिमाशु कुमार, पुस्तकालयाध्यक्ष, मुख्यालय को अभिलेखाध्य प्रेषित।
8. समस्त प्रमुख दैनिक समाचार पत्रों को जन सामान्य की जानकारी हेतु जनहित में निशुल्क प्रकाशनाय।

(कल्पना श्रीवास्तव)

उप श्रम आयुक्त, उत्तर प्रदेश,
कुले श्रम आयुक्त, उत्तर प्रदेश।

KM
11.05.2021